

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 895/2010/जयपुर.

मैसर्स डी.सी.एम. श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड,
एम.आई. रोड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत राज. जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/08/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 17/अपील्स-II/08-09 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 का अधिनियम की धारा 29 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त, इस बिन्दु पर भी ब्याज आरोपित किया गया कि व्यवहारी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 (जिसे आगे 'प्रोत्साहन योजना' कहा जायेगा) के तहत देय ब्याज अनुदान राशि राजकोष में जमा होने की तिथि से पूर्व ही देय कर पेटे समायोजन क्लेम किया है, इसलिए राजकोष में जमा तिथि तक का अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज की देयता बनती है। उक्त कर निर्धारण

-३६२ लगातार.....2

आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की, जिसे अपीलीय अधिकारी ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रोत्साहन योजना के तहत देय सब्सिडी राशि का राजकोष में समायोजन से पूर्व कलेम कर लिये देय कर विलम्ब से जमा होने के आधार पर आरोपित ब्याज की पुष्टि करते हुए, अन्य बिन्दुओं पर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अतः प्रोत्साहन योजना के तहत देय ब्याज सब्सिडी राजकोष में जमा होने से पूर्व कर का समायोजन कलेम किये जाने के आधार पर आरोपित ब्याज राशि रूपये 5,46,922/- के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को प्रोत्साहन योजना के तहत Capital Investment Subsidy (Interest Component) का लाभ स्वीकृत है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में देय लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने के माह में देय कर पेटे समायोजन कलेम किया गया था, लेकिन वास्तव में देय लाभ माह 26.03.2007 में राजकोष में आहरित होकर जमा हुआ। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने राजकोष में जमा होने की तिथि तक कर देरी से जमा मानकर ब्याज रूपये 5,46,922/- आरोपित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृति दिनांक 03.07.2006 को जारी की गयी। ब्याज अनुदान की राशि क्रमशः रूपये 1,17,730/- दिनांक 26.03.2007 को एवं रूपये 2,54,68,293/- दिनांक 26.03.2007 को 0040 शीर्षक मद में कर जमा हुआ है। उनका तर्क है कि प्रोत्साहन योजना के तहत देय लाभ का स्वीकृति आदेश जारी होने के माह में ही व्यवहारी द्वारा देय कर के विरुद्ध समायोजन लिया गया है, इसलिए ब्याज की देयता नहीं बनती है। अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित किये गये हैं। उनका अग्रिम कथन है कि अधिनियम की धारा 25 अनुसार भुगतान की तिथि वही मान्य होगी, जिस तिथि को राजकोष में नकद राशि जमा हुई हो, या चैक, ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक Encash हुआ हो। व्यवहारी द्वारा सब्सिडी का राजकोष में जमा होने से पूर्व

८८६

-३९८ लगातार.....3

स्वीकृति आदेश के आधार पर देय कर के विरुद्ध समायोजन ले लिया गया है, जो कि वास्तव में देरी से है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज उचित रूप से आरोपित किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी को प्रोत्साहन योजना के तहत पूंजीगत निवेश अनुदान (Capital Investment Subsidy) ब्याज अंश (Interest Component) का लाभ सक्षम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत है। यह लाभ निवेशक को त्रैमासिक आधार पर प्रोत्साहन योजना में विहित शर्तों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर सब्सिडी रिलीज ऑर्डर जारी किया जाता है। प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी का आहरण बजट के आधार पर राजकोष (Treasury) में अग्रिम देय कर के पेटे जमा किया जाता है (सब्सिडी का नगद भुगतान नहीं किया जाता है)। जब सब्सिडी, सब्सिडी के बजट शीर्षक से आहरित होकर बुक एन्ट्री द्वारा या चालान द्वारा व्यवहारी के खाते में जमा होती है तभी यह राजकोष में व्यवहारी द्वारा देय कर पेटे जमा होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के पक्ष में जारी सब्सिडी रिलीज ऑर्डर मात्र आदेश होता है, जिसके आधार पर बिल बनाकर सब्सिडी के विहित मद से राजकोष से भुगतान किया जाता है तथा भुगतान व्यवहारी द्वारा देय नियमित कर पेटे चालान या बुक एन्ट्री द्वारा समायोजित कर लिया जाता है।

7. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(69)एफडी/टैक्स डिवी./ 95-139 दिनांक 31.03.1997 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

S.O. 374.- In exercise of the powers conferred by S.25, RST Act, 1995, and in supersession of this Department notfn No. F.4(69)FD/Tax Divn/95-69 dated 30.5.1996 [S.No.1056], the State Govt. hereby directs that the class of delaers specified in column No. 1 of the Schedule appended hereto shall pay tax at intervals specified in column No.2 thereof.

-३६८ लगातार.....4

SCHEDULE

Column No. 1	Column No. 2
(a) Dealers with annual tax liability of rupees sixty lacs and above for the year preceding to the current assessment year.	Monthly within 7 days from the close of each month.
(b) Dealers with annual tax liability of rupees twenty thousand and above but below rupees sixty lacs for the year preceding to the current assessment year.	Monthly within 14 days from the close of each month.
(c) Dealers dealing in all kinds of stones in all their forms, whether used as building material or otherwise, including marble granite, etc.	Immediately on completion of transaction of sale or purchase where such goods pass through checkpost established under S.78 of the Act.
(d) Dealers not covered by clauses (a), (b) and (c) above.	Quarterly within 14 days from the close of each quarter.

This shall have immediate effect.

8. उक्त अधिसूचना अनुसार व्यवहारी का मासिक कर जमा कराने का दायित्व है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 25 निम्न प्रकार है :-

Section 25. Payment of tax

- (1) Tax payable under this Act shall be deposited into a government treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government on the basis of the accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be prescribed for different categories of dealers.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by notification in the Official Gazette require any dealer or class of dealers specified therein, to pay tax at intervals shorter than those prescribed under sub-section (1).
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, defer the payment of tax payable by any class of dealers, with or without interest, for any period on such conditions and under such circumstances as may be specified in the notification.

-३५२

लगातार.....5

- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of a works contract, an amount in lieu of tax may be deducted by the awarder at such rate not exceeding three per cent of the total value of the contract, in such manner and under such circumstances as may be prescribed, from every bill of payment to a contractor and such sum shall be deposited or credited in the government account within the specified time and in the prescribed manner.
- (5) Every deposit of tax or deduction of amount in lieu of tax made under this section shall be deemed to be provisional subject to adjustment against the tax liability determined in the assessment for any year made under section 29.

9. अधिनियम की धारा 58 निम्न प्रकार है :-

Section 58. Interest on failure to pay tax or other sum payable

- (1) Where a dealer or a person commits default in making the payment of any amount of tax leviable or payable or of any amount of tax leviable or payable or of any amount of tax, fee, interest or penalty assessed or determined or of any amount or demand otherwise payable, within the specified time under the provision of this Act or the rules made or notification issued thereunder, such dealer or person shall be liable to pay interest on such amount at the rate of two per cent per month, for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.
- (2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 70, interest under sub-section (1) shall be calculated -
- (a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and
 - (b) on payment including adjustment of a demand in full.
- (3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

10. उक्त विधिक प्रावधानों के मद्देनजर कर का भुगतान राजकोष में राशि जमा होने की तिथि से ही होता है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2005–06 के लिये सब्सिडी के आदेश दिनांक 03.07.2006 को जारी किये गये हैं, जबकि कर पेटे इसका समायोजन राजकोष में जमा दिनांक 26.03.2007 को किया गया है। कर निर्धारण वर्ष


-३६४ लगातार.....6


2005–06 की अवधि में दायित्वाधीन कर भुगतान, इस हेतु विहित समयावधि में नहीं किया गया है। अपीलार्थी कर का भुगतान विहित समयावधि में करने के लिये दायी है। सब्सिडी के आदेश जारी होने की तिथि से कर भुगतान की विहित समयावधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात् कर का भुगतान विहित समयावधि में करना आज्ञापक है। दायित्वाधीन कर का भुगतान विलम्ब से करने के लिये आरोपित ब्याज पूर्णतः विधिसम्मत है। समान बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 1807/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 11.12.2012 मैसर्स डी.सी.एम. श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर में ब्याज आरोपण को विधिसम्मत निर्णीत किया गया है।

11. चूंकि राजकोष में राशि का भुगतान मार्च, 2007 माह में किया गया है, तब तक का ब्याज आरोपित करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

12. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा देय राशि रूपये 45,57,685/- राजकोष में देरी से जमा होने के फलस्वरूप आरोपित ब्याज रूपये 5,46,922/- के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।


 (मनोहर पुरी)
 सदस्य
20/04/2015


 (बी. के. मीणा)
 अध्यक्ष